प्रेषक

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ दिनांक 11-06-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-789-01-22-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु भारत सरकार द्वारा मदर सैंक्शमन के रूप में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्री य सहायता की धनराशि रू0-1325.00 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत संगत राज्यांश रू0-883.33 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-2208.33 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-15/बजट/2026-27 दिनांक 11.05.2026 का कृपया सन्दयर्भ ग्रहण करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-789-01-0122-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु भारत सरकार द्वारा मदर सैंक्शन के रूप में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि रू0-1325.00 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत संगत राज्यांश रू0-883.33 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-2208.33 लाख (रूपया बाईस करोड़ आठ लाख तैतीस हजार मात्र) अवमुक्त कर प्रशासकीय स्वीकृति के साथ अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं है जिसका विवरण निम्नेवत है -

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.05.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा।

(3) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्तद नियंत्रक का होगा।

(4) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक/वित्तत नियंत्रक का उत्तरदायित्व होगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,08,33,000 (रुपये बाईस करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2401007890122 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60+रा. 40/के.+रा.) **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-20-X-2026-27-दिनांक:8-6-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(प्रभंजन यादव)
उप सचिव।

संख्या-11/2026/I/1360539/2026/470(1)/66-2026तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड प्रयागराज ।
(3) संयुक्त सचिव खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(5) वित्ता नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(प्रभंजन यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in